"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 298] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 4 दिसम्बर 2012—अग्रहायण 13, शक 1934

समाज कल्याण विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 1-14/2012/सक/26 रायपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2012

अधिसूचना

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना" नियम, 2012 है.

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होंगे.

2. **उद्देश्य :—** इस योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के निवासी वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति) को उनके जीवनकाल में एक बार, प्रदेश के बाहर स्थित विभिन्न नामनिर्दिष्ट तीर्थ स्थानों में से किसी एक या एक से अधिक स्थानों की यात्रा सुलभ कराने हेतु शासकीय सहायता प्रदान करना है.

3. **परिभाषाएं :—** इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "तीर्थ स्थान" से तात्पर्य उस स्थान/स्थानों के समूह से है जो कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर, विनिर्दिष्ट किए जाएं.

(ख) "यात्रा" से तात्पर्य नियम 3(क) में उल्लिखित स्थान की यात्रा एवं उक्त स्थान की यात्रा के लिये की गयी अनुषांगिक यात्राओं से है.

(ग) "यात्री" से तात्पर्य उस व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह से है, जो नियम 3(क) में उल्लिखित स्थान/स्थानों की यात्रा प्रारंभ करता है.

(घ) "आवेदक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह से है जो कि नियम 3(क) में उल्लिखित स्थान की यात्रा करने आवेदन प्रस्तुत करता है.

(ङ) "सहायक" से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो कि 65 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के आवेदक/आवेदकों के साथ यात्रा पर जाता है. यह व्यक्ति 21 वर्ष से अधिक एवं 50 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए.

(च) "कोटा" से तात्पर्य यात्रियों की उस संख्या से है, जो राज्य सरकार राज्य, जिला अथवा अन्य प्रकार से निर्धारित करे.

(छ) "एजेन्सी" से तात्पर्य आई.आर.सी.टी.सी. से है.

(ज) "संचालक" से तात्पर्य उस अधिकारी से है, जिसे कि योजना के संचालन हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा अधिकृत किया जाय.

(झ) "जीवन साथी" से तात्पर्य यात्री की पत्नी अथवा पति से है.

4. यात्रा पर जाने के लिए पात्रता :— इस योजना के अंतर्गत आवेदक को निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करनी होंगी :—

(1) छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो.

(2) 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो.

(3) इस योजना के अंतर्गत पूर्व में यात्रा न की हो.

(4) यात्रा हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हो और किसी संक्रामक रोग यथा टी.बी. कांजेस्टिव कार्डियक, श्वास में अवरोध सम्बन्धी बीमारी, coronary अपर्याप्तता, coronary thrombosis, मानसिक व्याधि, संक्रामक कुष्ठ आदि से ग्रसित न हो.

5. निरर्हता :—

(1) यदि यह पाया गया कि आवेदक/यात्री ने असत्य जानकारी देकर या तथ्यों को छुपाकर आवेदन किया है तो उसे किसी भी समय योजना के लाभों से वंचित किया जा सकेगा.

(2) नियम 15 में वर्णित शर्तों के उल्लंघन पर भी आवेदक/यात्री को योजना के लाभों से वंचित किया जा सकेगा.

(3) नियम 5 (1) एवं (2) के अंतर्गत निरर्ह व्यक्ति को भविष्य में आवेदन के लिए भी निरर्ह घोषित किया जा सकेगा.

(4) वर्तमान एवं भूतपूर्व शासकीय सेवक इस योजना के पात्र नहीं होंगे.

6. मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा समिति :—

(1) राज्य सरकार विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा हेतु यात्रियों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा समिति गठित कर सकेगी. यह समिति छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अंतर्गत पंजीकृत होगी.

(2) उक्त समिति के साधारण सभा के निम्नानुसार पदाधिकारी/सदस्य होंगे—

1.	मुख्यमंत्री	—	अध्यक्ष
2.	मंत्री, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	—	उपाध्यक्ष
3.	मंत्री, समाज कल्याण	—	उपाध्यक्ष
4.	प्रमुख सचिव/सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व		
5.	प्रमुख सचिव/सचिव, गृह		
6.	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त		
7.	प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण		
8.	प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यटन		
9.	प्रमुख सचिव/सचिव समाज कल्याण	—	सचिव
10.	संचालक, समाज कल्याण विभाग		
11.	एक नामांकित अशासकीय सदस्य		

मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा राज्य स्तरीय समिति के कर्तव्य :—

(1) समिति, निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्वहन करेगी —

(क) वरिष्ठ नागरिकों की यात्राओं के लिए आवश्यक और उपयोगी जानकारी का संग्रहण एवं प्रचार-प्रसार.

(ख) योजना का संचालन एवं मानीटरिंग.

(ग) यात्रियों की शिकायतों/समस्याओं को स्थानीय अधिकारियों के ध्यान में लाकर उनका निराकरण करना.

(घ) यात्रियों की सुविधा के उद्देश्य से अन्य आवश्यक कार्य करना एवं सुझाव देना.

(च) तीर्थ यात्रा कोष का नियंत्रण.

(छ) अन्य कार्य जो समय-समय पर शासन द्वारा सौंपे जाएं.

(2) समिति अपने कर्तव्यों की पूर्ति के लिए समय-समय पर उप समितियां बना सकेगी.

8. मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा जिला स्तरीय समिति :—

(1) राज्य सरकार विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा हेतु यात्रियों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला स्तर पर मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा समिति गठन कर सकेगी.

(2) उक्त समिति में निम्नानुसार सदस्य होंगे :—

1.	प्रभारी मंत्री जी (जिला)	अध्यक्ष
2.	कलेक्टर	
3.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	
4.	जिला पुलिस अधीक्षक	
5.	उप संचालक/संयुक्त संचालक, समाज कल्याण विभाग	सचिव
6.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	
7.	जिले का सत्कार अधिकारी	

समिति के किसी सदस्य की अनुपस्थिति के कारण समिति के कार्यवाही को प्रश्नगत नहीं किया जाएगा.

9. मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा जिला स्तरीय समिति के कर्त्तव्य :—

(1) समिति निम्नलिखित कर्त्तव्यों का निवर्हन करेगी—

(क) वरिष्ठ नागरिकों की यात्राओं के लिए आवश्यक और उपयोगी जानकारी का संग्रहण एवं प्रचार-प्रसार.

(ख) यात्रियों की शिकायतों/समस्याओं को स्थानीय अधिकारियों के ध्यान में लाकर उनका निराकरण करना.

(ग) यात्रियों की सुविधा के उद्देश्य से अन्य आवश्यक कार्य करना एवं सुझाव देना.

(घ) अन्य कार्य जो समय-समय पर, सरकार द्वारा सौंपे जाएं.

10. तीर्थ स्थानों की सूची :— यात्रा हेतु तीर्थ स्थानों की सूची संलग्न परिशिष्ट में दी गई है.

उक्त सूची में समाज कल्याण विभाग द्वारा और स्थानों को सम्मिलित अथवा कम किया जा सकेगा.

11. आवेदन की प्रक्रिया :—

(1) आवेदन दो प्रतियों में सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में किया जाएगा.

(2) आवेदन पत्र मात्र हिन्दी में ही भरा जाएगा.

(3) आवेदन के साथ 3.5cm×3.5cm साइज का नवीनतम रंगीन फोटो निर्धारित स्थान पर फ्रंट पोज में (सफेद पृष्ठभूमि में) लगाना होगा.

(4) आवेदन के साथ निवास के साक्ष्य (प्रूफ ऑफ रेसीडेंस) के लिए निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा :—

(1) राशन कार्ड की प्रतिलिपि
(2) ड्राइविंग लाइसेंस की प्रतिलिपि
(3) विद्युत देयक की प्रतिलिपि
(4) मतदाता पहचान पत्र की प्रतिलिपि
(5) राज्य शासन द्वारा स्वीकार्य कोई अन्य साक्ष्य

(5) आवेदन पत्र जिस लिफाफे में प्रेषित किया जाए उस पर "मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना वर्ष 20-------- में ------- स्थान की यात्रा के लिए आवेदन" अंकित किया जाए. रिक्त स्थानों में जिस वर्ष में जिस तीर्थ स्थान की यात्रा हेतु आवेदन किया जा रहा है, उसका उल्लेख किया जाना चाहिये.

(6) आवेदक को किन्हीं दो नामनिर्देशितियों का नाम एवं अन्य विशिष्टियां जिनसे उनकी किसी आपात स्थिति में तुरंत सम्पर्क किया जा सके, का वर्णन भी आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर करना होगा. अपने कम से कम एक नामनिर्देशिती का मोबाइल नंबर देना आवश्यक होगा.

(7) 65 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे व्यक्ति, जिसने कि अकेले यात्रा करने हेतु आवेदन किया है, को अपने साथ एक सहायक को यात्रा पर ले जाने की पात्रता होगी. नियम 12 (4) के अंतर्गत व्यक्तियों के समूह द्वारा आवेदन करने पर उक्त समूह के साथ, 3 से 5 व्यक्तियों के समूह को 1 सहायक ले जाने की पात्रता होगी, बशर्ते कि इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति 65 वर्ष से अधिक आयु का हो. बड़े समूह में प्रति 05 यात्रियों पर 01 के मान से सहायक मान्य किये जाऐंगे. पति/पत्नी के साथ-साथ यात्रा करने पर सहायक को साथ ले जाने की सुविधा नहीं रहेगी बशर्ते उनमें से किसी एक की उम्र 65 वर्ष से कम हो.

(8) यदि आवेदक पति/पत्नी में से किसी का नाम चुना जाता है तो उसका जीवन साथी भी यात्रा पर साथ जा सकेगा. आवेदक के जीवन साथी की आयु 60 वर्ष से कम हो, तब भी आवेदक के साथ यात्रा कर सकेगी/कर सकेगा. आवेदन करते समय ही आवेदक को यह बताना होगा कि उसका जीवन साथी भी उसके साथ यात्रा करने का इच्छुक है. ऐसी स्थिति में उक्त जीवन साथी का आवेदन भी आवेदक के आवेदन के साथ ही संलग्न करना होगा. यदि सहायक को यात्रा पर साथ ले जाने की पात्रता है तो उस सहायक का आवेदन भी आवेदक के साथ ही जमा किया जायेगा.

(9) यदि व्यक्तियों के समूह एक साथ आवेदन करते हैं तो संपूर्ण समूह को एक आवेदन मानते हुए लॉटरी में सम्मिलित किया जाएगा. उक्त समूह अधिक से अधिक 25 आवेदकों का हो सकेगा. समूह का एक आवेदक समूह का मुखिया कहलायेगा. अन्य सभी आवेदकों के आवेदन उसके आवेदन के साथ संलग्न कर जमा किये जाएंगे. यदि उक्त समूह में सम्मिलित व्यक्तियों को सहायक ले जाने की पात्रता है तो प्रस्तावित सहायकों के आवेदन भी इसी आवेदन के साथ संलग्न किए जाएंगे. समूह में सम्मिलित समस्त व्यक्तियों की, जिसमें सहायक भी सम्मिलित होंगे, संख्या 25 से अधिक नहीं होगी.

(10) सहायक को यात्रा पर ले जाने की दशा में उसे भी उसी प्रकार की सुविधा प्राप्त होगी जो कि यात्री को अनुज्ञेय हो.

(11) आवेदक को अपने नगरीय निकाय अथवा जनपद अथवा ग्राम पंचायत में या निर्धारित स्थान पर, इच्छित स्थान की यात्रा हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन, सरकार द्वारा निर्धारित समय-सीमा के पूर्व प्रस्तुत करना होगा.

12. चयन की प्रक्रिया :— यात्रियों का चयन कलेक्टर द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा :—

(1) इस योजना के 80 प्रतिशत हितग्राही बी.पी.एल. अंत्योदय एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के कार्डधारी होंगे एवं 20 प्रतिशत हितग्राही गरीबी रेखा के ऊपर के ऐसे वरिष्ठ नागरिक होंगे, जो आयकर दाता न हो.

(2) इस योजना के 25 प्रतिशत हितग्राही शहरी क्षेत्र के होंगे एवं 75 प्रतिशत हितग्राही ग्रामीण क्षेत्र के होंगे.

(3) यात्रा हेतु प्राप्त समस्त आवेदनों को यात्रा स्थानवार छांटा जाएगा.

(4) प्रत्येक स्थान की यात्रा हेतु प्राप्त आवेदनों में से उपलब्ध कोटे के अनुसार यात्रियों का चयन किया जाएगा. यदि निर्धारित कोटे से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं, तो लाटरी द्वारा यात्रियों का चयन किया जाएगा. कोटे के 25 प्रतिशत अतिरिक्त व्यक्तियों की प्रतीक्षा सूची भी बनायी जाएगी.

(5) चयनित यात्री के यात्रा पर न जाने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित व्यक्ति को यात्रा पर भेजा जा सकेगा.

(6) लॉटरी निकालते समय आवेदक के आवेदन के साथ उसकी पत्नी अथवा पति (यदि उनके द्वारा भी यात्रा के लिये आवेदन किया गया हो) एवं सहायक (यदि सहायक की पात्रता हो तो और सहायक ने भी यात्रा पर जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया हो) को एक मानते हुये लॉटरी निकाली जाएगी एवं लॉटरी में चयन होने पर यात्रा के लिये उपलब्ध बर्थ/सीटों में से उतनी संख्या कम कर दी जाएगी. नियम 11 के अनुसार समूह में आवेदन किये जाने की स्थिति में, पूरे समूह के सदस्यों एवं उनके सहायकों (यदि सहायक की पात्रता है और सहायक ने भी यात्रा हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया हो) का एक आवेदन मानते हुए लॉटरी में सम्मिलित किया जायेगा. समूह में लॉटरी में चयन होने की स्थिति में समूह में सम्मिलित आवेदकों की संख्या अनुसार चयन मानते हुए उतनी संख्या तक बर्थ/सीटें, उपलब्ध बर्थ/सीटों की संख्या से कम कर दी जाएगी.

(7) चयनित यात्रियों एवं प्रतीक्षा सूची को कलेक्टर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर एवं अन्य ऐसे माध्यम से, जो कि उचित समझे, प्रसारित किया जाएगा.

(8) केवल वह व्यक्ति ही जिसका चयन किया गया है, यात्रा पर जा सकेगा. वह अपने साथ अन्य किसी व्यक्ति को नहीं ले जा सकेगा.

13. **यात्रा की प्रक्रिया :—**

(1) कलेक्टर द्वारा चयनित यात्रियों की सूची शासन द्वारा निर्धारित एजेन्सी को सौंपी जाएगी.

(2) निर्धारित एजेन्सी यात्रियों के समूह को यात्रा पर ले जाने की व्यवस्था करेगी.

(3) यात्रियों के यात्रा व्यय एवं उन्हें उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधाओं को विनिश्चय शासन द्वारा किया जाएगा.

(4) यात्रियों के साथ अनुरक्षक (एस्कार्ट) के रूप में शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को भेजा जाएगा. शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में शासकीय निगम/मण्डल/आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों को भी भेजा जा सकेगा. उक्त व्यवस्था पर होने वाला व्यय राज्य शासन के सम्बन्धित विभाग वहन करेगा.

(5) यात्रियों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था कलेक्टर द्वारा सुनिश्चित की जाएगी.

14. **यात्रियों के समूह :—** यात्रा केवल सामूहिक रूप से आयोजित की जाएगी. उक्त समूहों का निर्धारण शासन अथवा शासन द्वारा अधिकृत प्राधिकारी/एजेन्सी द्वारा किया जाएगा. किसी तीर्थ स्थान की यात्रा के लिए शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम संख्या में यात्री उपलब्ध होने पर ही यात्रा प्रारंभ की जाएगी. योजना के अंतर्गत चयन होने मात्र से ही किसी व्यक्ति को यात्रा कराने हेतु शासन बाध्य नहीं होगा.

15. **अन्य व्यक्तियों के यात्रा करने पर प्रतिबंध :—** केवल वह व्यक्ति ही जिसका चयन इस योजना के अंतर्गत यात्रा हेतु किया गया है, इस यात्रा पर जा सकेगा. वह अपने साथ अन्य किसी व्यक्ति को, भले ही वह यात्रा का व्यय देने हेतु तैयार हो, यात्रा में साथ नहीं ले जा सकेगा. ट्रेन एवं वाहनों में केवल चयनित व्यक्ति ही यात्रा करेगा और एक सीट/बर्थ पर केवल एक ही व्यक्ति यात्रा करेगा.

16. **अतिरिक्त व्यय के संबंध में :—** यदि कोई, यात्रा के दौरान, शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों/सुविधाओं के अतिरिक्त सुविधाएं प्राप्त करना चाहता है तो उसका भुगतान उसे स्वयं करना होगा.

17. **यात्रा के दौरान अपेक्षाएं :—**

(1) यात्री किसी तरह के ज्वलनशील पदार्थ या मादक पदार्थ किसी भी रूप में साथ नहीं ले जा सकेंगे.

(2) यात्री अपने साथ आभूषणादि भी नहीं ले जा सकेंगे.

(3) यात्री तीर्थ की मर्यादा के अनुसार आचरण करेंगे ताकि प्रदेश की छवि अन्यथा प्रभावित न हों.

(4) यात्री अपने निर्धारित सम्पर्क अधिकारी के निर्देशों का पालन करेंगे.

18. **यात्रा के दौरान अप्रत्याशित परिस्थितियां :—** यात्रा के दौरान होने वाली किसी दुर्घटना अथवा कठिनाई के लिये राज्य शासन अथवा उसका कोई अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी नहीं होगा.

19. **योजना पर व्यय :—** योजना के क्रियान्वयन हेतु व्यय (बजट सीमा तक), जिसमें यात्रा व्यय, अन्य प्रशासनिक व्यय तथा परिवहन, दूरभाष, विज्ञापन, प्रचार-प्रसार, व्यावसायिक एवं परामर्श सेवाएं प्राप्त करना, सत्कार व्यय आदि सम्मिलित है, करने के लिए सचिव, समाज कल्याण विभाग सक्षम होंगे.

20. **मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा कोष :—** राज्य शासन योजना के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रतिवर्ष बजट में समुचित प्रावधान करेगी. योजना के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ-यात्रा कोष स्थापित किया जाएगा जिसमें राज्य सरकार द्वारा आवंटित राशि और निजी स्रोतों से प्राप्त राशियां सम्मिलित होंगी. कोष का संचालन मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा समिति के माध्यम से होगा.

इस कोष का उपयोग उक्त कर्त्तव्यों के अतिरिक्त तीर्थ यात्रा प्रबंधन हेतु किसी अधिकारी/कर्मचारी, संपर्क व्यक्ति के वेतन भत्तों एवं अन्य अनुषांगिक व्ययों के लिए भी किया जा सकेगा.

21. **संचालक :—** योजना के दिन प्रतिदिन संचालन हेतु शासन द्वारा संचालक की नियुक्ति की जाएगी जो संयुक्त संचालक से अनिम्न स्तर का अधिकारी होगा. उसे आवश्यकतानुसार वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियां मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा समिति द्वारा प्रत्यायोजित की जा सकेंगी.

22. **अन्य :—** उपरोक्त वर्णित नियमों में प्रावधान होते हुए भी, योजना के क्रियान्वयन हेतु संसाधनों की उपलब्धता सुलभ कराने एवं प्रशासकीय निर्णय, जिसमें वित्तीय व्यय (बजट प्रावधान की सीमा तक) भी सम्मिलित है, के लिए सचिव, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा समिति अधिकृत होंगे.

23. **नियमों का निर्वचन :—** इन नियमों के किसी भी उप नियम या खण्ड की व्याख्या के लिये सचिव, समाज कल्याण विभाग का विनिश्चय अंतिम होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, सचिव.

परिशिष्ट (एक)

तीर्थ स्थानों की सूची

1. उज्जैन, ओंकारेश्वर
2. पुरी, भुवनेश्वर
3. हरिद्वार, ऋषिकेश
4. मथुरा, वृन्दावन
5. प्रयाग, काशी
6. शिरडी, शनि सिगनापुर, त्रयम्बकेश्वर
7. वैष्णौदेवी, जम्मू
8. अमृतसर, स्वर्ण मंदिर
9. तिरूपति, मदुरै, रामेश्वरम्
10. अजमेर शरीफ, फतेहपुर (चिश्ती की दरगाह)
11. बाबा बैजनाथ धाम
12. दक्षिणेश्वर, कालीमंदिर, गंगासागर
13. द्वारिका, सोमनाथ, नागेश्वर
14. सम्मेद शिखर
15. श्रवणबेलगोला
16. वेलांगणी चर्च, नागापट्टनम् (तमिलनाडू)

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 264] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 19 जून 2014 — ज्येष्ठ 29, शक 1936

समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 जून 2014

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-14/2012/सक/26. — राज्य शासन एतद्द्वारा "छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना नियम 2012" में निम्नानुसार संशोधन करती है.

1. नियम 2 में वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति) के पश्चात् "एवं नि:शक्तजनों" अन्त:स्थापित किया जाये.

2. नियम में खण्ड (झ) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाये :-
(त) नि:शक्तजन से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत धारा 2 (न) के अनुसार नि:शक्त हो.

3. नियम 4(4) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जावे :-
(5) श्रवण बाधित, मूक-बधिर, दृष्टि बाधित एवं अस्थिबाधित नि:शक्तजन तीर्थयात्रा पर जाने हेतु पात्र होंगे.
(6) तीर्थयात्रा पर जाने वाले नि:शक्तजन की आयु 18 वर्ष से अधिक होगी.
(7) योजनांतर्गत ऐसे सभी नि:शक्त व्यक्ति पात्र होंगे जो आयकर दाता न हो.

4. नियम 7(1) (क) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावे :-
(क) वरिष्ठ नागरिकों की तीर्थयात्राओं एवं नि:शक्तजनों के लिए विशेष तीर्थयात्राओं का आयोजन करेगी एवं इनके लिए आवश्यक एवं उपयोगी जानकारी का संग्रहण एवं प्रचार प्रसार करेगी.

5. नियम 9(1) (क) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावे :-
(क) वरिष्ठ नागरिकों की तीर्थयात्राओं एवं नि:शक्तजनों के लिए विशेष तीर्थयात्राओं का आयोजन करेगी एवं इनके लिए आवश्यक एवं उपयोगी जानकारी का संग्रहण एवं प्रचार प्रसार करेगी.

6. नियम 10 में शब्द "परिशिष्ट" के स्थान पर शब्द "परिशिष्ट एक एवं दो" प्रतिस्थापित किया जावे.

7. नियम 11 (9) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जावे :-

9(क) यदि नि:शक्त आवेदक पति/पत्नि में से किसी का नाम चुना जाता है तो उसका जीवन साथी भी यात्रा पर जा सकेगा, आवेदन करते समय ही आवेदक को जीवन साथी का आवेदन भी आवेदक के आवेदन के साथ ही संलग्न करना होगा. पांच या उससे अधिक नि:शक्तजन समूह के रूप में भी आवेदन कर सकेंगे. संपूर्ण समूह को एक आवेदन मानते हुए लॉटरी में सम्मिलित किया जावेगा. प्रत्येक नि:शक्त तीर्थयात्री के साथ एक सहायक का तीर्थयात्रा पर जाना अनिवार्य होगा. सहायक, नि:शक्त व्यक्ति का निकटतम अथवा उसके पंसद का होना चाहिए. नियम 11(7) (8) (9) के प्रावधान नि:शक्तजनों के संदर्भ में लागू नहीं होंगे.

8. नियम 12 (1) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावे :-

इस योजना के 80 प्रतिशत हितग्राही बी. पी. एल. अंत्योदय एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के कार्डधारी होंगे एवं 20 प्रतिशत हितग्राही गरीबी रेखा के ऊपर के ऐसे वरिष्ठ नागरिक तथा नि:शक्तजन होंगे, जो आयकर दाता न हो.

9. इस विभाग की संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ1-14/2012/सक/26, दिनांक 04 सितम्बर, 2013 को निरस्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.

बजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 184] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 मई 2017 — वैशाख 15, शक 1939

समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2017

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक एफ1-14/2012/स. क./26. — राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना नियम 2012 यथा संशोधित 2014 में निम्नानुसार और संशोधन करता है, अर्थात् :-

1. नियम -10 की परिशिष्ट (एक) तीर्थस्थानों की सूची के सरल क्रमांक-16 के पश्चात् निम्नलिखित और जोड़ा जाए :-

17. गया, बोधगया, सारनाथ, नालंदा.

18 कामाख्या मंदिर, नवग्रह मंदिर, वशिष्ट मुनि आश्रम, उमानंद मंदिर, शिवजी का मंदिर, शंकर देव कला क्षेत्र-गुवाहाटी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001"

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015"

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 389] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 सितम्बर 2017 — भाद्रपद 10, शक 1939

समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 अगस्त 2017

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-14/2012/स. क./26 (पार्ट-2). — राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना नियम 2012 यथा संशोधित 2017 में निम्नानुसार और संशोधन करता है, अर्थात् :-

1 नियम 3 (ड) "सहायक" से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो कि 65 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के आवेदक/आवेदकों के साथ यात्रा पर जाता है, के पश्चात् "अथवा परिवार के किसी मृत व्यक्ति के अस्थि विसर्जन हेतु जाने वाले आवेदक/आवेदकों के साथ यात्रा पर जाता है" अन्तःस्थापित किया जाये.

2 नियम 4 (2) 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो, के पश्चात् "अथवा परिवार के किसी मृत सदस्य के अस्थि विसर्जन हेतु जाने वाला आवेदक 18 वर्ष से कम आयु का न हो" अन्तःस्थापित किया जाये.

3 नियम 4 (7) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जावे :-

(8) स्थानीय लोकसभा क्षेत्र के सांसद सदस्य अथवा स्थानीय विधानसभा क्षेत्र के विधानसभा सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित — 2017

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 25 जनवरी 2018 — माघ 5, शक 1939

समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 22 जनवरी 2018

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-14/2012/स. क./26. — राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना नियम 2012 यथा संशोधित 2014 में निम्नानुसार और संशोधन करता है, अर्थात् :-

1. नियम - 10 की परिशिष्ट (एक) में तीर्थस्थानों की सूची के सरल क्रमांक - 18 के पश्चात् निम्नलिखित और जोड़ा जाए :-

19. शबरी माला, गुरुवायूर, इट्टूमन्नूर मंदिर.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. प्रसन्ना, विशेष सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.

त पोस्ट के अन्तर्गत डाक के नगद भुगतान (बिना डाक ट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक ी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 298] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 4 दिसम्बर 2012—अग्रहायण 13, शक 1934

समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 1-14/2012/सक/26 रायपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2012

अधिसूचना

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—**
   (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना" नियम, 2012 है.

   (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होंगे.

2. **उद्देश्य :—** इस योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के निवासी वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति) को उनके जीवनकाल में एक बार, प्रदेश के बाहर स्थित विभिन्न नामनिर्दिष्ट तीर्थ स्थानों में से किसी एक या एक से अधिक स्थानों की यात्रा सुलभ कराने हेतु शासकीय सहायता प्रदान करना है.

3. **परिभाषाएं :—** इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
   (क) "तीर्थ स्थान" से तात्पर्य उस स्थान/स्थानों के समूह से है जो कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर, विनिर्दिष्ट किए जाएं.

   (ख) "यात्रा" से तात्पर्य नियम 3(क) में उल्लिखित स्थान की यात्रा एवं उक्त स्थान की यात्रा के लिये की गयी अनुषांगिक यात्राओं से है.

   (ग) "यात्री" से तात्पर्य उस व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह से है, जो नियम 3(क) में उल्लिखित स्थान/स्थानों की यात्रा प्रारंभ करता है.

(घ) "आवेदक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह से है जो कि नियम 3(क) में उल्लिखित स्थान की यात्रा आवेदन प्रस्तुत करता है.

(ङ) "सहायक" से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो कि 65 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के आवेदक/आवेदकों के साथ यात्रा पर है. यह व्यक्ति 21 वर्ष से अधिक एवं 50 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए.

(च) "कोटा" से तात्पर्य यात्रियों की उस संख्या से है, जो राज्य सरकार राज्य, जिला अथवा अन्य प्रकार से निर्धारित करे.

(छ) "एजेन्सी" से तात्पर्य आई.आर.सी.टी.सी. से है.

(ज) "संचालक" से तात्पर्य उस अधिकारी से है, जिसे कि योजना के संचालन हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा अधिकृत किया जाय.

(झ) "जीवन साथी" से तात्पर्य यात्री की पत्नी अथवा पति से है.

4 यात्रा पर जाने के लिए पात्रता :— इस योजना के अंतर्गत आवेदक को निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करनी होंगी :—

(1) छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो.

(2) 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो..

(3) इस योजना के अंतर्गत पूर्व में यात्रा न की हो.

(4) यात्रा हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हो और किसी संक्रामक रोग यथा टी.बी. कांजेस्टिव कार्डियक, श्वास में अवरोध सम्बन्धी बीमारी, coronary अपर्याप्तता, coronary thrombosis, मानसिक व्याधि, संक्रामक कुष्ठ आदि से ग्रसित न हो.

5. निरर्हता :—

(1) यदि यह पाया गया कि आवेदक/यात्री ने असत्य जानकारी देकर या तथ्यों को छुपाकर आवेदन किया है तो उसे किसी भी समय योजना के लाभों से वंचित किया जा सकेगा.

(2) नियम 15 में वर्णित शर्तों के उल्लंघन पर भी आवेदक/यात्री को योजना के लाभों से वंचित किया जा सकेगा.

(3) नियम 5 (1) एवं (2) के अंतर्गत निरर्ह व्यक्ति को भविष्य में आवेदन के लिए भी निरर्ह घोषित किया जा सकेगा.

(4) वर्तमान एवं भूतपूर्व शासकीय सेवक इस योजना के पात्र नहीं होंगे.

6. मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा समिति :—

(1) राज्य सरकार विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा हेतु यात्रियों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा समिति गठित कर सकेगी. यह समिति छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अंतर्गत पंजीकृत होगी.

(2) उक्त समिति के साधारण सभा के निम्नानुसार पदाधिकारी/सदस्य होंगे—

1.	मुख्यमंत्री	—	अध्यक्ष
2.	मंत्री, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	—	उपाध्यक्ष
3.	मंत्री, समाज कल्याण	—	उपाध्यक्ष
4.	प्रमुख सचिव/सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व		
5.	प्रमुख सचिव/सचिव, गृह		
6.	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त		
7.	प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण		
8.	प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यटन		
9.	प्रमुख सचिव/सचिव समाज कल्याण	—	सचिव
10.	संचालक, समाज कल्याण विभाग		
11.	एक नामांकित अशासकीय सदस्य		

मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा राज्य स्तरीय समिति के कर्तव्य :—

(1) समिति, निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्वहन करेगी —

(क) वरिष्ठ नागरिकों की यात्राओं के लिए आवश्यक और उपयोगी जानकारी का संग्रहण एवं प्रचार-प्रसार.

(ख) योजना का संचालन एवं मानीटरिंग.

(ग) यात्रियों की शिकायतों/समस्याओं को स्थानीय अधिकारियों के ध्यान में लाकर उनका निराकरण करना.

(घ) यात्रियों की सुविधा के उद्देश्य से अन्य आवश्यक कार्य करना एवं सुझाव देना.

(च) तीर्थ यात्रा कोष का नियंत्रण.

(छ) अन्य कार्य जो समय-समय पर शासन द्वारा सौंपे जाएं.

(2) समिति अपने कर्तव्यों की पूर्ति के लिए समय-समय पर उप समितियां बना सकेगी.

8. मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा जिला स्तरीय समिति :—

(1) राज्य सरकार विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा हेतु यात्रियों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला स्तर पर मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा समिति गठन कर सकेगी.

(2) उक्त समिति में निम्नानुसार सदस्य होंगे :—

1.	प्रभारी मंत्री जी (जिला)	अध्यक्ष
2.	कलेक्टर	
3.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	
4.	जिला पुलिस अधीक्षक	
5.	उप संचालक/संयुक्त संचालक, समाज कल्याण विभाग	सचिव
6.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	
7.	जिले का सत्कार अधिकारी	

समिति के किसी सदस्य की अनुपस्थिति के कारण समिति के कार्यवाही को प्रश्नगत नहीं किया जाएगा.

9. मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा जिला स्तरीय समिति के कर्त्तव्य :—

(1) समिति निम्नलिखित कर्त्तव्यों का निवर्हन करेगी—

(क) वरिष्ठ नागरिकों की यात्राओं के लिए आवश्यक और उपयोगी जानकारी का संग्रहण एवं प्रचार-प्रसार.

(ख) यात्रियों की शिकायतों/समस्याओं को स्थानीय अधिकारियों के ध्यान में लाकर उनका निराकरण करना.

(ग) यात्रियों की सुविधा के उद्देश्य से अन्य आवश्यक कार्य करना एवं सुझाव देना.

(घ) अन्य कार्य जो समय-समय पर, सरकार द्वारा सौंपे जाएं.

10. तीर्थ स्थानों की सूची :— यात्रा हेतु तीर्थ स्थानों की सूची संलग्न परिशिष्ट में दी गई है.

उक्त सूची में समाज कल्याण विभाग द्वारा और स्थानों को सम्मिलित अथवा कम किया जा सकेगा.

11. आवेदन की प्रक्रिया :—

(1) आवेदन दो प्रतियों में सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में किया जाएगा.

(2) आवेदन पत्र मात्र हिन्दी में ही भरा जाएगा.

(3) आवेदन के साथ 3.5cm×3.5cm साइज का नवीनतम रंगीन फोटो निर्धारित स्थान पर फ्रंट पोज में (सफेद पृष्ठभू लगाना होगा.

(4) आवेदन के साथ निवास के साक्ष्य (प्रूफ ऑफ रेसीडेंस) के लिए निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत कर होगा :—
- (1) राशन कार्ड की प्रतिलिपि
- (2) ड्राइविंग लाइसेंस की प्रतिलिपि
- (3) विद्युत देयक की प्रतिलिपि
- (4) मतदाता पहचान पत्र की प्रतिलिपि
- (5) राज्य शासन द्वारा स्वीकार्य कोई अन्य साक्ष्य

(5) आवेदन पत्र जिस लिफाफे में प्रेषित किया जाए उस पर "मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना वर्ष 20-------- में ------- स्थान की यात्रा के लिए आवेदन" अंकित किया जाए. रिक्त स्थानों में जिस वर्ष में जिस तीर्थ स्थान की यात्रा हेतु आवेदन किया जा रहा है. उसका उल्लेख किया जाना चाहिये.

(6) आवेदक को किन्हीं दो नामनिर्देशितियों का नाम एवं अन्य विशिष्टियां जिनसे उनकी किसी आपात स्थिति में तुरंत सम्पर्क किया जा सके, का वर्णन भी आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर करना होगा. अपने कम से कम एक नामनिर्देशिती का मोबाइल नंबर देना आवश्यक होगा.

(7) 65 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे व्यक्ति, जिसने कि अकेले यात्रा करने हेतु आवेदन किया है, को अपने साथ एक सहायक को यात्रा पर ले जाने की पात्रता होगी. नियम 12 (4) के अंतर्गत व्यक्तियों के समूह द्वारा आवेदन करने पर उक्त समूह के साथ, 3 से 5 व्यक्तियों के समूह को 1 सहायक ले जाने की पात्रता होगी, बशर्ते कि इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति 65 वर्ष से अधिक आयु का हो. बड़े समूह में प्रति 05 यात्रियों पर 01 के मान से सहायक मान्य किये जाएँगे. पति/पत्नी के साथ-साथ यात्रा करने पर सहायक को साथ ले जाने की सुविधा नहीं रहेगी बशर्ते उनमें से किसी एक की उम्र 65 वर्ष से कम हो.

(8) यदि आवेदक पति/पत्नी में से किसी का नाम चुना जाता है तो उसका जीवन साथी भी यात्रा पर साथ जा सकेगा. आवेदक के जीवन साथी की आयु 60 वर्ष से कम हो, तब भी आवेदक के साथ यात्रा कर सकेगी/कर सकेगा. आवेदन करते समय ही आवेदक को यह बताना होगा कि उसका जीवन साथी भी उसके साथ यात्रा करने का इच्छुक है. ऐसी स्थिति में उक्त जीवन साथी का आवेदन भी आवेदक के आवेदन के साथ ही संलग्न करना होगा. यदि सहायक को यात्रा पर साथ ले जाने की पात्रता है तो उस सहायक का आवेदन भी आवेदक के साथ ही जमा किया जायेगा.

(9) यदि व्यक्तियों के समूह एक साथ आवेदन करते हैं तो संपूर्ण समूह को एक आवेदन मानते हुए लॉटरी में सम्मिलित किया जाएगा. उक्त समूह अधिक से अधिक 25 आवेदकों का हो सकेगा. समूह का एक आवेदक समूह का मुखिया कहलायेगा. अन्य सभी आवेदकों के आवेदन उसके आवेदन के साथ संलग्न कर जमा किये जाएंगे. यदि उक्त समूह में सम्मिलित व्यक्तियों को सहायक ले जाने की पात्रता है तो प्रस्तावित सहायकों के आवेदन भी इसी आवेदन के साथ संलग्न किए जाएंगे. समूह में सम्मिलित समस्त व्यक्तियों की, जिसमें सहायक भी सम्मिलित होंगे, संख्या 25 से अधिक नहीं होगी.

(10) सहायक को यात्रा पर ले जाने की दशा में उसे भी उसी प्रकार की सुविधा प्राप्त होगी जो कि यात्री को अनुज्ञेय हो.

(11) आवेदक को अपने नगरीय निकाय अथवा जनपद अथवा ग्राम पंचायत में या निर्धारित स्थान पर, इच्छित स्थान की यात्रा हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन, सरकार द्वारा निर्धारित समय-सीमा के पूर्व प्रस्तुत करना होगा.

12. **चयन की प्रक्रिया** :— यात्रियों का चयन कलेक्टर द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा :—

(1) इस योजना के 80 प्रतिशत हितग्राही बी.पी.एल. अंत्योदय एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के कार्डधारी होंगे एवं 20 प्रतिशत हितग्राही गरीबी रेखा के ऊपर के ऐसे वरिष्ठ नागरिक होंगे, जो आयकर दाता न हो.

(2) इस योजना के 25 प्रतिशत हितग्राही शहरी क्षेत्र के होंगे एवं 75 प्रतिशत हितग्राही ग्रामीण क्षेत्र के होंगे.

(3) यात्रा हेतु प्राप्त समस्त आवेदनों को यात्रा स्थानवार छांटा जाएगा.

(4) प्रत्येक स्थान की यात्रा हेतु प्राप्त आवेदनों में से उपलब्ध कोटे के अनुसार यात्रियों का चयन किया जाएगा. यदि निर्धारित कोटे से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं, तो लाटरी द्वारा यात्रियों का चयन किया जाएगा. कोटे के 25 प्रतिशत अतिरिक्त व्यक्तियों की प्रतीक्षा सूची भी बनायी जाएगी.

(5) चयनित यात्री के यात्रा पर न जाने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित व्यक्ति को यात्रा पर भेजा जा सकेगा.

(6) लॉटरी निकालते समय आवेदक के आवेदन के साथ उसकी पत्नी अथवा पति (यदि उनके द्वारा भी यात्रा के लिये आवेदन किया गया हो) एवं सहायक (यदि सहायक की पात्रता हो तो और सहायक ने भी यात्रा पर जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया हो) को एक मानते हुये लॉटरी निकाली जाएगी एवं लॉटरी में चयन होने पर यात्रा के लिये उपलब्ध बर्थ/सीटों में से उतनी संख्या कम कर दी जाएगी. नियम 11 के अनुसार समूह में आवेदन किये जाने की स्थिति में, पूरे समूह के सदस्यों एवं उनके सहायकों (यदि सहायक की पात्रता है और सहायक ने भी यात्रा हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया हो) का एक आवेदन मानते हुए लॉटरी में सम्मिलित किया जायेगा. समूह में लॉटरी में चयन होने की स्थिति में समूह में सम्मिलित आवेदकों की संख्या अनुसार चयन मानते हुए उतनी संख्या तक बर्थ/सीटें, उपलब्ध बर्थ/सीटों की संख्या से कम कर दी जाएगी.

(7) चयनित यात्रियों एवं प्रतीक्षा सूची को कलेक्टर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर एवं अन्य ऐसे माध्यम से, जो कि उचित समझे, प्रसारित किया जाएगा.

(8) केवल वह व्यक्ति ही जिसका चयन किया गया है, यात्रा पर जा सकेगा. वह अपने साथ अन्य किसी व्यक्ति को नहीं ले जा सकेगा.

13. **यात्रा की प्रक्रिया :—**

(1) कलेक्टर द्वारा चयनित यात्रियों की सूची शासन द्वारा निर्धारित एजेन्सी को सौंपी जाएगी.

(2) निर्धारित एजेन्सी यात्रियों के समूह को यात्रा पर ले जाने की व्यवस्था करेगी.

(3) यात्रियों के यात्रा व्यय एवं उन्हें उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधाओं को विनिश्चय शासन द्वारा किया जाएगा.

(4) यात्रियों के साथ अनुरक्षक (एस्कार्ट) के रूप में शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को भेजा जाएगा. शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में शासकीय निगम/मण्डल/आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों को भी भेजा जा सकेगा. उक्त व्यवस्था पर होने वाला व्यय राज्य शासन के सम्बन्धित विभाग वहन करेगा.

(5) यात्रियों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था कलेक्टर द्वारा सुनिश्चित की जाएगी.

14. **यात्रियों के समूह :—** यात्रा केवल सामूहिक रूप से आयोजित की जाएगी. उक्त समूहों का निर्धारण शासन अथवा शासन द्वारा अधिकृत प्राधिकारी/एजेन्सी द्वारा किया जाएगा. किसी तीर्थ स्थान की यात्रा के लिए शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम संख्या में यात्री उपलब्ध होने पर ही यात्रा प्रारंभ की जाएगी. योजना के अंतर्गत चयन होने मात्र से ही किसी व्यक्ति को यात्रा कराने हेतु शासन बाध्य नहीं होगा.

15. **अन्य व्यक्तियों के यात्रा करने पर प्रतिबंध :—** केवल वह व्यक्ति ही जिसका चयन इस योजना के अंतर्गत यात्रा हेतु किया गया है, इस यात्रा पर जा सकेगा. वह अपने साथ अन्य किसी व्यक्ति को, भले ही वह यात्रा का व्यय देने हेतु तैयार हो, यात्रा में साथ नहीं ले जा सकेगा. ट्रेन एवं वाहनों में केवल चयनित व्यक्ति ही यात्रा करेगा और एक सीट/बर्थ पर केवल एक ही व्यक्ति यात्रा करेगा.

16. **अतिरिक्त व्यय के संबंध में :—** यदि कोई, यात्रा के दौरान, शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों/सुविधाओं के अतिरिक्त सुविधाएं प्राप्त करना चाहता है तो उसका भुगतान उसे स्वयं करना होगा.

17. **यात्रा के दौरान अपेक्षाएं :—**

(1) यात्री किसी तरह के ज्वलनशील पदार्थ या मादक पदार्थ किसी भी रूप में साथ नहीं ले जा सकेंगे.

(2) यात्री अपने साथ आभूषणादि भी नहीं ले जा सकेंगे.

(3) यात्री तीर्थ की मर्यादा के अनुसार आचरण करेंगे ताकि प्रदेश की छवि अन्यथा प्रभावित न हों.

(4) यात्री अपने निर्धारित सम्पर्क अधिकारी के निर्देशों का पालन करेंगे.

18. **यात्रा के दौरान अप्रत्याशित परिस्थितियां :—** यात्रा के दौरान होने वाली किसी दुर्घटना अथवा कठिनाई के लिये राज्य शासन अथवा उसका कोई अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी नहीं होगा.

19. **योजना पर व्यय :—** योजना के क्रियान्वयन हेतु व्यय (बजट सीमा तक), जिसमें यात्रा व्यय, अन्य प्रशासनिक व्यय तथा परिवहन, दूरभाष, विज्ञापन, प्रचार-प्रसार, व्यावसायिक एवं परामर्श सेवाएं प्राप्त करना, सत्कार व्यय आदि सम्मिलित है, करने के लिए सचिव, समाज कल्याण विभाग सक्षम होंगे.

20. **मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा कोष :—** राज्य शासन योजना के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रतिवर्ष बजट में समुचित प्रावधान करेगी. योजना के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ-यात्रा कोष स्थापित किया जाएगा जिसमें राज्य सरकार द्वारा आवंटित राशि और निजी स्रोतों से प्राप्त राशियां सम्मिलित होंगी. कोष का संचालन मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा समिति के माध्यम से होगा.

इस कोष का उपयोग उक्त कर्त्तव्यों के अतिरिक्त तीर्थ यात्रा प्रबंधन हेतु किसी अधिकारी/कर्मचारी, संपर्क व्यक्ति के वेतन भत्तों एवं अन्य अनुषांगिक व्ययों के लिए भी किया जा सकेगा.

21. **संचालक :—** योजना के दिन प्रतिदिन संचालन हेतु शासन द्वारा संचालक की नियुक्ति की जाएगी जो संयुक्त संचालक से अनिम्न स्तर का अधिकारी होगा. उसे आवश्यकतानुसार वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियां मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा समिति द्वारा प्रत्यायोजित की जा सकेंगी.

22. **अन्य :—** उपरोक्त वर्णित नियमों में प्रावधान होते हुए भी, योजना के क्रियान्वयन हेतु संसाधनों की उपलब्धता सुलभ कराने एवं प्रशासकीय निर्णय, जिसमें वित्तीय व्यय (बजट प्रावधान की सीमा तक) भी सम्मिलित है, के लिए सचिव, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा समिति अधिकृत होंगे.

23. **नियमों का निर्वचन :—** इन नियमों के किसी भी उप नियम या खण्ड की व्याख्या के लिये सचिव, समाज कल्याण विभाग का विनिश्चय अंतिम होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, सचिव.

परिशिष्ट (एक)

तीर्थ स्थानों की सूची

1. उज्जैन, ओंकारेश्वर
2. पुरी, भुवनेश्वर
3. हरिद्वार, ऋषिकेश
4. मथुरा, वृन्दावन
5. प्रयाग, काशी
6. शिरडी, शनि सिगनापुर, त्रयम्बकेश्वर
7. वैष्णौदेवी, जम्मू
8. अमृतसर, स्वर्ण मंदिर
9. तिरूपति, मदुरै, रामेश्वरम्
10. अजमेर शरीफ, फतेहपुर (चिश्ती की दरगाह)
11. बाबा बैजनाथ धाम
12. दक्षिणेश्वर, कालीमंदिर, गंगासागर
13. द्वारिका, सोमनाथ, नागेश्वर
14. सम्मेद शिखर
15. श्रवणबेलगोला
16. वेलांगणी चर्च, नागापट्टनम् (तमिलनाडू)

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 264] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 19 जून 2014— ज्येष्ठ 29, शक 1936

समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 जून 2014

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-14/2012/सक/26. — राज्य शासन एतद्द्वारा "छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना नियम 2012" में निम्नानुसार संशोधन करती है.

1. नियम 2 में वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति) के पश्चात् "एवं नि:शक्तजनों" अन्त:स्थापित किया जाये.

2. नियम में खण्ड (झ) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाये :-
(त) नि:शक्तजन से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत धारा 2 (न) के अनुसार नि:शक्त हो.

3. नियम 4(4) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जावे :-
(5) श्रवण बाधित, मूक-बधिर, दृष्टि बाधित एवं अस्थिबाधित नि:शक्तजन तीर्थयात्रा पर जाने हेतु पात्र होंगे.
(6) तीर्थयात्रा पर जाने वाले नि:शक्तजन की आयु 18 वर्ष से अधिक होगी.
(7) योजनांतर्गत ऐसे सभी नि:शक्त व्यक्ति पात्र होंगे जो आयकर दाता न हो.

4. नियम 7(1) (क) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावे :-
(क) वरिष्ठ नागरिकों की तीर्थयात्राओं एवं नि:शक्तजनों के लिए विशेष तीर्थयात्राओं का आयोजन करेगी एवं इनके लिए आवश्यक एवं उपयोगी जानकारी का संग्रहण एवं प्रचार प्रसार करेगी.

5. नियम 9(1) (क) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावे :-
(क) वरिष्ठ नागरिकों की तीर्थयात्राओं एवं नि:शक्तजनों के लिए विशेष तीर्थयात्राओं का आयोजन करेगी एवं इनके लिए आवश्यक एवं उपयोगी जानकारी का संग्रहण एवं प्रचार प्रसार करेगी.

6. नियम 10 में शब्द "परिशिष्ट" के स्थान पर शब्द "परिशिष्ट एक एवं दो" प्रतिस्थापित किया जावे.

7. नियम 11 (9) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जावे :-

9(क) यदि नि:शक्त आवेदक पति/पत्नि में से किसी का नाम चुना जाता है तो उसका जीवन साथी भी यात्रा पर जा सकेगा. आवेदन करते समय ही आवेदक को जीवन साथी का आवेदन भी आवेदक के आवेदन के साथ ही संलग्न करना होगा. पांच या उससे अधिक नि:शक्तजन समूह के रूप में भी आवेदन कर सकेंगे. संपूर्ण समूह को एक आवेदन मानते हुए लॉटरी में सम्मिलित किया जावेगा. प्रत्येक नि:शक्त तीर्थयात्री के साथ एक सहायक का तीर्थयात्रा पर जाना अनिवार्य होगा. सहायक, नि:शक्त व्यक्ति का निकटतम अथवा उसके पंसद का होना चाहिए. नियम 11(7) (8) (9) के प्रावधान नि:शक्तजनों के संदर्भ में लागू नहीं होंगे.

8. नियम 12 (1) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावे :-

इस योजना के 80 प्रतिशत हितग्राही बी. पी. एल. अंत्योदय एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के कार्डधारी होंगे एवं 20 प्रतिशत हितग्राही गरीबी रेखा के ऊपर के ऐसे वरिष्ठ नागरिक तथा नि:शक्तजन होंगे, जो आयकर दाता न हो.

9. इस विभाग की संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ1-14/2012/सक/26, दिनांक 04 सितम्बर, 2013 को निरस्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 184] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 मई 2017 — वैशाख 15, शक 1939

समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2017

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक एफ1-14/2012/स.क./26. — राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना नियम 2012 यथा संशोधित 2014 में निम्नानुसार और संशोधन करता है, अर्थात् :-

1. नियम -10 की परिशिष्ट (एक) तीर्थस्थानों की सूची के सरल क्रमांक-16 के पश्चात् निम्नलिखित और जोड़ा जाए :-

17. गया, बोधगया, सारनाथ, नालंदा.

18. कामाख्या मंदिर, नवग्रह मंदिर, वशिष्ट मुनि आश्रम, उमानंद मंदिर, शिवजी का मंदिर, शंकर देव कला क्षेत्र-गुवाहाटी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015"

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 389] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 सितम्बर 2017 — भाद्रपद 10, शक 1939

समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 अगस्त 2017

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-14/2012/स. क./26 (पार्ट-2). — राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना नियम 2012 यथा संशोधित 2017 में निम्नानुसार और संशोधन करता है, अर्थात् :-

1 नियम 3 (ड) "सहायक" से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो कि 65 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के आवेदक/आवेदकों के साथ यात्रा पर जाता है, के पश्चात् "अथवा परिवार के किसी मृत व्यक्ति के अस्थि विसर्जन हेतु जाने वाले आवेदक/आवेदकों के साथ यात्रा पर जाता है" अन्तःस्थापित किया जाये,

2 नियम 4 (2) 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो, के पश्चात् "अथवा परिवार के किसी मृत सदस्य के अस्थि विसर्जन हेतु जाने वाला आवेदक 18 वर्ष से कम आयु का न हो" अन्तःस्थापित किया जाये,

3 नियम 4 (7) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जावे :-

(8) स्थानीय लोकसभा क्षेत्र के संसद सदस्य अथवा स्थानीय विधानसभा क्षेत्र के विधानसभा सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित — 2017

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 25 जनवरी 2018 — माघ 5, शक 1939

समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 22 जनवरी 2018

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-14/2012/स. क./26. — राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना नियम 2012 यथा संशोधित 2014 में निम्नानुसार और संशोधन करता है, अर्थात् :-

1. नियम - 10 की परिशिष्ट (एक) में तीर्थस्थानों की सूची के सरल क्रमांक - 18 के पश्चात् निम्नलिखित और जोड़ा जाए :-

19. शबरी माला, गुरुवायूर, इट्टुमन्नूर मंदिर.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. प्रसन्ना, विशेष सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.